भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4747
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा

4747. डॉ. संबित पात्राः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास जेजेएम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु एक विशेष कार्यबल गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ओडिशा में जेजेएम के अंतर्गत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या तटीय राज्यों में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से तटीय राज्यों के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है।

भारत सरकार सम्मेलनों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों तथा अन्य फोरमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इन समीक्षाओं के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है

कि वे मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। इसके अलावा, जैसा कि कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित है, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तीसरे पक्ष द्वारा कार्यशीलता का मूल्यांकन भी कराती है। मूल्यांकन रिपोर्टें, जहां आवश्यक हो, वहां अपेक्षित सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती हैं।

(ख): राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव करने संबंधी तकनीकी क्षमता की कमी, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु *"नल जल मित्र"* कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग करने, आदि की सलाह दी गई है।

(ग): ओडिशा राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत के समय, केवल 3.11 लाख (3.51%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 65.09 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए

गए हैं। इस प्रकार, 18.08.2025 तक, राज्य के 88.67 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 68.20 लाख (76.92%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(घ): जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत तटीय क्षेत्रों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान निम्नानुसार हैं

i.) तटीय क्षेत्रों में, सेवाओं का संवर्धन उच्च रिकवरी अनुपात वाले ऊर्जा कुशल छोटे विलवणीकरण संयंत्रों के साथ किया जा सकता है; और

ii.) समुद्र के पानी के प्रवेश से बचने के लिए, नदियों में उप-सतही डाइक का निर्माण किया जा सकता है जो आस-पास के क्षेत्रों में भूजल आधारित पेयजल स्रोतों में भी सुधार कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए मनरेगा, राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

*****